भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 486

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल विरासत संरचनाएं

486. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृत महोत्सव के दौरान तमिलनाडु राज्य से चार जल विरासत संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में जल विरासत संरचनाओं के रखरखाव/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा 2024-25 के बजट में तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में जल विरासत संरचनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा पूरे भारत वर्ष में पचहत्तर प्राचीन जल संरक्षण संरचनाओं चिह्नित की गई है, जिन्हें "जल विरासत संरचनाएँ" (डब्ल्यूएचएस) के रूप में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन 75 जल विरासत संरचनाओं में से 07 की पहचान तमिलनाडु से की गई है। तमिलनाडु से चिह्नित की गई इन सात जल विरासत संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संरचना का नाम	स्थान		
		गांव/शहर	ज़िला	राज्य
1	कल्लनई बांध (कावेरी पर ग्रैंड एनीकट)	तंजावुर	तंजावुर	तमिलनाडु

2	वीरानम टैंक	वीरानंधापुरम	कुड्डालोर	तमिलनाडु
3	कलिंगारायण एनीकट	मेट्टुनसुवमपलयम/भवानी	इरोड	तमिलनाडु
4	लोअर एनीकट	अनाइकराय	तंजावुर	तमिलनाडु
5	बकिंघम नहर (कोम्मामुर नहर)			तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
6	नॉय्याल रिवर सिस्टम टैंक	नॉय्याल के किनारे कई स्थान	कोयंबटूर, तिरुपुर	तमिलनाडु
7	वंडीयूर मारीअम्मन टेप्पाकुलम	वंडियूर	मदुरै	तमिलनाडु

(ग): जल राज्य का विषय है फिर भी, केंद्र सरकार, तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के प्रयासों से सहायता करती है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्य सरकारों से इन संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त नोडल एजेंसी की पहचान करने के बाद, राज्य पुरातत्व विभागों, संबंधित एजेंसियों और जिला प्रशासन से परामर्श करते हुए इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****